# राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

दिनांक 01–05–2019

## –: प्रेस नोट :–

आज दिनांक 01.05.2019 को प्री–लिटिगेशन समिति की प्रथम बैठक आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता आयोग के माननीय सदस्य श्री शिवसिंह राठौड़ द्वारा की गई बैठक में आयोग के सचिव श्री के.के. शर्मा, विधिक सलाहकार श्री अश्विनी विज, संयुक्त सचिव श्रीमती दीप्ति शर्मा तथा उप विधि परामर्शी श्री अनिल गुप्ता उपस्थित रहे।

प्री–लिटिगेशन समिति द्वारा कुल 52 प्रकरणों पर विचार विमर्श किया जाकर उनका निस्तारण किया गया। 29 प्रकरणों में नियमानुसार विभिन्न प्रकार के वर्ग परिवर्तन, जन्म तिथि, पता, शैक्षणिक योग्यता, आदि मे सम्पूर्ण आयोग की बैठक दिनांक 24.04.2019 में लिए गये निर्णय अनुसार ऑनलाईन संशोधन/परिवर्तन को अनुमत किया गया।

इस संबंध में आयोग द्वारा पृथक् से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर प्री–लिटिगेशन समिति के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने वाले अभ्यावेदकों एवं आवेदित/इच्छुक अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा निर्धारित 07 दिवस की अवधि में अनुमत ऑनलाईन संशोधन हेतु सूचित किया जाएगा।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा 04 न्यायिक प्रकरणों में याचियों द्वारा चाहे गये वांछित अनुतोष हेतु प्री–लिटिगेशन समिति के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के निर्देशों के क्रम में समिति द्वारा उक्त चारों प्रकरणों का भी निस्तारण किया गया।

भविष्य में भी प्री–लिटिगेशन समिति की बैठक नियमित अन्तराल में आयोजित की जाकर समिति को प्राप्त अभ्यावेदनों का समुचित निस्तारण किया जायेगा।

**(दीप्ति शर्मा)**
**संयुक्त सचिव एवं**
**सदस्य सचिव–प्री–लिटिगेशन समिति**